फर्द अहकाम

किशनादेवी बनाम राजेश्वरीदेवी

न्यायालय SDO II सांगानेर

120/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
5/3/25	पत्रावली पेश हुई। पीठा... अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/3/25 को पेश हो।	
7/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया। पत्रावली नियमानुसार कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 120/2024
निर्णय दिनांकः 07.03.2025

उनवान

श्रीमती विमला देवी पुत्री स्व. गोविन्दनारायण पत्नी श्री गणेश कुमार लाटा, आयु 61 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी गिरधर नगर, वान्यावाली, हरगुन की नांगल उर्फ चारणवाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान

–वादीया

बनाम

1. रामेश्वरी देवी पत्नी स्व. गोविन्द सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कौशल्यादास की बावडी तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
2. शिव कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोविंद सहाय जाति ब्राह्मण निवासी– मकान नम्बर 130, सावित्री विहार, श्योपुर, प्रताप नगर, सेक्टर–11, सांगानेर, जयपुर।
3. रामरत्न शर्मा पुत्र स्व. गोविंद सहाय जाति ब्राह्मण निवासी–ग्राम कौशल्यादास की बावडी तहसील माधोराजपुरा, जिला जयपुर राजस्थान।
4. संतोष कुमार शर्मा पुत्र स्व. गोविंद सहाय जाति ब्राह्मण निवासी– पंच विहार कॉलोनी, आनंदा सिटी, पोर्टफोलियो रोड, सांगानेर जयपुर
5. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.)

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद पत्र बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादीगण ने वाद अन्तर्गत 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वाद पत्र बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा वाद बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या पुराना 41 नया खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 574 रकबा 0.7700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 607 रकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 609 रकबा 0.2400 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.5500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 620 रकबा 0.2200 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.5600 हेक्टेयर ग्रम रामसिंहपुरा पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला, जयपुर में स्थित है जिसमे वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। जो वादग्रस्त है। जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। भूमि के भक्त गोविंद नारायण पुत्र सूर्यमल की मृत्यु दिनांक 26–7–2003 को हुई थी। प्रोटोकाल मृत्यु के अनुसार वादीया पुत्री है और प्रतिवादी संख्या 1 पत्नी है प्रतिवादी संख्या 3 लगायी गयी है 4 गोविंदनारायण के पुत्र है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगाई गई 4 दिव्य गोविंदनारायण की विधिक विरासत है और गोविंदनारायण की मृत्यु के उपरांत ने भूमि के खंडों को प्रभावित किया है। वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने हक व हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है राजस्व रिकार्ड में गोविन्दनारायण के स्थान पर स्वर्गीय गोविन्दनारायण के विधिक वारिसो का नाम दर्ज नही हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि का अभी तक विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बंटवारा नहीं हुआ है। वर्तमान में जमीनों की भाव अत्यधिक बढ़ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा करवाये बिना वादग्रस्त भूमि को दीगर व्यक्ति को विक्रय करने एवं आवासीय व्यावसायिक गैर कृषि कार्य करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा किये जाने का बार बार निवेदन किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 विधिवत बंटवारा करवाने हेतु तैयार नही हुऐ तथा हमेशा आना कानी करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बाला बाला ही वादग्रस्त भूमि के शामिल खातेदार [illegible] की भूमि के खातेदारो को पक्षकार बनाते हुऐ माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 5-2-2024 को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 6-2-2024 को अस्थाई आदेश प्राप्त कर लिया जिसकी जानकारी वादीया को जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर हुई। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 बिना विधिवत विभाजन करवाये वादग्रस्त सम्पति को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। दिनांक 20-2-2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 कुछ व्यक्तियो को लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये और जमीन की नाप जोख कर जमीन बेचान किये जाने की बातचीत करने लगे। जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को विधिवत विभाजन करवाने का निवेदन किया तब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादीया को स्पष्ट धमकी दी कि हम बिना विधिवत बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भाग का विक्रय कर देगे और वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, गैर कृषि निर्माण कार्य करेगे जिस कारण वादीया को प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त वाद पत्र बाबत घोषणा, तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान किसी दीगर व्यक्ति को कर दिया जाता है तो वादग्रस्त भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल अजमेर के नियम) अनुसार विभाजन नही हो सकेगा तथा वादग्रस्त भूमि पर आवासीय एवं गैर कृषि कार्य कर लिया जाता है तो वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा किया जाना असंभव हो जावेगा तथा वादीया को अपने हक व हिस्से तथा कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित होना पडेगा। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय गोविन्दनारायण के स्थान पर उसके विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जावे एवं वादग्रस्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किया जाकर वादीया के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाते बनाये जावे एवं उसी अनुसार लगान निर्धारण किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा ना होने तक वादग्रस्त भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति सोसायटी, संस्था, आदि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बख्शीश ना करे, ना करावे तथा वादीया के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा कारित ना करे, वादग्रस्त भूमि पर आवासीय, व्यवसायिक, गैर कृषि निर्माण कार्य ना करे, प्रतिवादी संख्या 5 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र या हस्तान्तरण विलेख किसी दीगर व्यक्ति के नाम तस्दीक नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे। प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान सरकार वादग्रस्त भूमि का भू–धारक है एवं तकासमें में आवश्यक पक्षकार है इसलिए उक्त प्रतिवादी संख्या 5 को पक्षकार के रुप में संयोजित किया गया है वाद पत्र आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रतिवादी संख्या 5 को विधिवत नोटिस नही दिया जा सका जिसके लिए वादीया छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। विधिवत नोटिस की

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

छूट हेतु अन्तर्गत धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र वाद के साथ संलग्न है। वाद कारण दिनांक 20–2–2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वादीया को वादग्रस्त भूमि को जबरन बेचान करने की धमकी देने से तथा कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा बिना विधिक विभाजन के किसी भी समय किसी भी दीगर व्यक्ति के हक में बेचान करने से उत्पन्न होकर वाद कारण निरन्तर जारी है। उक्त आराजीयात कृषि भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त आराजीयात के संबंध में राजस्व वाद को सुनने एवं निर्णित करने क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र की मद संख्या 1 वादग्रस्त भूमि के खातेदार स्वर्गीय गोविन्दनारायण के स्थान पर वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की घोषणा की जावे, वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार विभाजन कर वादीया के हिस्से का खाता अलग से कायम किया जाकर अलग लगान निर्धारण किया जावे व वादीया के हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन न होने तक वादग्रस्त भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति सोसायटी, संस्था, आदि को विक्रय, हस्तान्तरण, रहन, बख्शीश ना करे ना करावे तथा वादीया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में बाधा कारित ना करे ना करावे तथा वादग्रस्त भूमि पर आवासीय व्यवसायिक, गैरकृषि निर्माण कार्य ना करे तथा प्रतिवादी संख्या 5 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र या हस्तान्तरण विलेख किसी दीगर व्यक्ति के नाम तस्दीक करने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 व 4 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 03.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाब दावा पेश नही किया गया अतः दिनांक 20.11.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाब दावे का अवसर बन्द किया जाता है।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गयी। वादीया अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण गोविन्दनारायण पुत्र सूरजमल के विधिक वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की घोषणा चाही गयी है। वादग्रस्त आराजी भूमि का बाई मीटस एवं बाउण्डस के आधार पर विभाजन कर वादीया के हिस्से का खाता अलग से कायम किया जाकर अलग लगान निर्धारण किया जावे व वादीया के हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। इसलिए वादिया का वाद डिक्री किया जावे।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार गोविन्दनारायण पुत्र सूरजमल की मृत्यु दिनांक 26.07.2023 को हो चुकी हैं मृत्यु के पश्चात वादीया पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 पत्नी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 पुत्र है। जो कि गोविन्दनारायण के विधिक वारिसान हैं तथा गोविन्दनारायण की मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त भूमि के हिस्सेदार है। वादीया व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 अपने हक व हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त करते आ रहें हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजस्व रिकार्ड में गोविन्द नारायण के स्थान अभि तक विधिक वारिसान का नाम दर्ज नही है। और ना ही विधिक बटवारा हुआ है। और वादीया द्वारा बार बार कहने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत बटवारा करने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वाद वादीया का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम रामसिंहपुरा पटवार हल्का रामसिंहपुरा, भू.अ.नि.क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 50 के खसरा नम्बर 574 एकबा 0.7700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 607 एकबा 0.2700 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 609 एकबा 0.2400 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 610 एकबा 0.5500 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 616 एकबा 0.5100 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 620 एकबा 0.2200 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल एकबा 2.5600 हेक्टेयर में तहसीलदार सांगानेर को गोविन्दनारायण पुत्र सूरजमल जाति ब्राम्हण खाता संख्या 50 में मृतक गोविन्दनारायण का नियमानुसार नामान्तरकरण वादीया यदि उसकी पुत्री है तो उसे वारिस मानते हुए दर्ज किया जाने के आदेश दिये जाते है। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नही हो तो। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर